निर्णय बाईजलास श्री हीरालाल मीना (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या : 158/18
दायरा दिनांक : 17.09.2018

उनवान

1. बजरंगलाल पुत्र कन्हैयालाल सुमन जाति माली निवासी मालियों का मोहल्ला वार्ड नं. 2 बोहत तह. मांगरोल जिला बारां।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 **RTAct**
वास्ते खातेदारी हक घोषणा

उपस्थित :–

1. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा एड. वादी
2. श्री भगवान प्रसाद दाधीच एड वादी
3. पैरोकार सरकार

::: निर्णय :::

दिनांक : 24/9/19

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मियाडा तहसील बारां जमाबंदी सम्वत् 2033–36 खाता संख्या 134 में ख.नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार मथरी जोजे बिरधा कोम धाकड के खाते दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57 से हाल ख.नं. 110 रकबा 1–14 है. भूमि जमाबंदी सम्वत् 2069–72 में दर्ज है। वादी उक्त भूमि का कर्ता लगान अदा करता चला आ रहा है। खातेदार मथरी की भूमि को वादी बरसों से काश्त करता चला आ रहा है तथा मथरी वादी के पिता कन्हैयालाल के पास आती जाती थी। मथरी के कोई संतान ना होने से वृद्वावस्था व बिमारी में वादी द्वारा उसकी सेवा सुश्रुषा की गई। जिससे प्रसन्न होकर उसने दिनांक 05.04.1983 को वादी के नाम साबिक ख.नं. 64 रकबा 6 वी 6 बिस्वा ग्राम मियाडा तहसील बारां की वसीयत वादी के पक्ष में की है तथा खातेदार के जीवनकाल में वादी उक्त भूमि को काश्त करता था। खातेदार मथरी की मृत्यु के बाद मुताबिक वसीयत उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त वसीयत निष्पादन के पक्ष में गवाहान गोरूलाल पुत्र श्रीलाल जाति माली नि. बोहत एवं धन्नालाल पुत्र बिरधीलाल सुमन जाति माली नि. बोहत तह. मांगरोल ने किए है। दोनों गवाहों ने वसीयत को प्रमाणित किया है। उक्त विवादित आराजी पर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी के अलावा उक्त भूमि पर किसी अन्य का कभी कब्जा नही रहा। उक्त भूमि के खातेदार वसीयतकर्ता मथरी का स्वर्गवास दिनांक 07.07.1984 को हो चुका है तथा वादी का कब्जा उक्त भूमि पर होने बाबत् ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित किया है। वादी को मुताबिक वसीयत एवं कब्जे काश्त के आधार पर उक्त विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावें। मुताबिक वसीयत एवं कब्जे के आधार पर तथा वसीयत के गवाहान द्वारा वसीयत को प्रमाणित करने से वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावें। वसीयतकर्ता का नाम खाते से हटाया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

उक्त आशय का वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर अंकित किया कि रिपोर्ट पटवारी/आई.एल. आर. अनुसार विवादित आराजी ख.नं. 110 रकबा 1.14 है0 ग्राम मियाडा तहसील बारां वर्तमान में मथरी पत्नी बिरधा जाति धाकड के खाते दर्ज है। खातेदार मथरी ग्राम मियाडा की बेटी थी। उसकी 33–34 साल पहले मृत्यु होना बताया। उसके पति की मृत्यु उसकी मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी तथा उसे लाओलाद फोत होना बताया। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि मथरी की मृत्यु के पहले से ही उनके वारिसान नही रहते थें उक्त आराजी पर बजरंगलाल पुत्र कन्हैयालाल का कब्जा होना बताया। बजरंगलाल ही वर्तमान में काश्त कर रहा है तथा उसका कर्ता पिलाई भी बजरंगलाल द्वारा जमा कराया जा रहा है। वसीयत के बवाहान में एक गवाह की मृत्यु हो चुकी है अन्य गवाह धन्नालाल ने बताया कि मथरी बाई ने यह वसीयत मैरे सामने ही बजरंगलाल के नाम लिखवाई थी। न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी पालना की जावेगी।

प्रतिवादी द्वारा दावे का खण्डन नही करने से सबूत वादी में PW1 बजरंगलाल PW2 धन्नालाल पुत्र बिरधीलाल PW3 चन्दालाल पुत्र पांचूलाल के बयान लिए गए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में EX1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 EX2 नक्शा ट्रेस,EX3 खसरा गिरदावरी 2069–72 EX4 मिलान क्षैत्रफल, EX5 नकल जमाबंदी 2036–39, EX6 मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मियाडा, EX7 वसीयती वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मियाडा, EX8 वसीयत नामा मथरी बाईपेश किए साथ ही कर्ता पिलाई रसीदों की छायाप्रति पेश की।

हमने वकील वादी की बहस सुनी व पैरोकार की बहस सुनी। विद्वान वकील वादी ने लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि विवादित आराजी साबिक ख.नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा की खातेदार मथरी जोजे बिरधा धाकड सा देह थी। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल 2038–57 से हाल ख.नं. 110 रकबा 1–14 है. भूमि जमाबंदी 2069–72 में दर्ज है। वादी ही उक्त भूमि का कर्ता लगान अदा रकता आ रहा है। मथरी के खाते की उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। मथरी खातेदार के कोई संतान नही होने से मथरी की वृद्वावस्था व बीमारी में वादी द्वारा सेवा की थी। जिससे प्रसन्न होकर खातेदार मथरी द्वारा एक वसीयत दिनांक 05.04.1983 को वादी के नाम साबिक ख.नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वादी के पक्ष में की थी तथा खातेदार के जीवनकाल से ही वादी उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है तथा खातेदार मथुरी की मृत्यु के बाद से वादी विवादित आराजीपर काबिज काश्त है। उक्त वसीयत निष्पादन के पक्ष में गवाहान गोरूलालपुत्र श्रीलाल जाति माली नि. बोहत व धन्नालाल पुत्र बिरधीलाल सुमन जाति माली निवासी बोहत तहसील मांगरोल ने अंगूठा निशानी किए है। दोनों गवाहों ने वसीयत को प्रमाणित किया है। खातेदार वसीयतकर्ता मथरी बाई का स्वर्गवास 07.07.1984 को हो गया। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम सेवक ग्राम पंचायत मियाडा ने जारी किया है तथा विवादित भूमि पर कब्जा होने बाबत् भी पंचायत मियाडा ने प्रमाणित किया है। दौराने वाद वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य, वसीयत नामा 05.04.1983 एवं गवाहान के शपथ पत्र, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त कोयला द्वारा की गयी रिपोर्ट से वादी विवादित आराजी पर बतौर वसीयती उत्तराधिकारी काबिज होना साबित है। रिपोर्ट आई.एल.आर. एवं पटवारी से खातेदार मथरी व उसके पति की मृत्यु होना व उसके वारिसान की लाओलाद मृत्यु होना साबित है। वादी मृतक खातेदार मथरी का वसीयती उत्तराधिकारी होने व आराजी पर खातेदार की विवादित आराजी पर वसीयती उत्तराधिकारी की हेसियत से काबिज चले आने से वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार मथरी का नाम विलोपित कर वादी को खातेदार दर्ज किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

जवाब में पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन बाद ही निर्णय किया जावें। किए गए निर्णय की पालना उनके द्वारा कराई जावेगी।

हमने वकील वादी की लिखित बहस व पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया प्रस्तुत वसीयत दिनांक 05.04.1983 एवं शपथ पत्र धन्नालाल एवं गोरूलाल तथा बयान PW1 बजरंगलाल, PW2 धन्नालाल, PW3 चंदालाल का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी 2069–72 EX1 अनुसार वर्तमान में विवादित आराजी मथरी जोजे बिरधा जाति धाकड के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का सेटलमेंट 2038–57 से पहले ख.नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा था। जिसकी खातेदार भी जमाबंदी सम्वत् 2033–36 EX5 अनुसार मथरी जोजे बिरधा ही थी। मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57 EX4 अनुसार साबिक ख.नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा का सेटलमेन्ट बाद ख.नं. 110 रकबा 1.14 है. कायम हुआ जो मथरी जोजे बिरधा के खातेदारी में दर्ज है। खातेदार मथरी द्वारा दिनांक 05.04. 1983 को वादी बजरंगलाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित की उक्त वसीयत के गवाह धन्नालाल व गोरूलाल ने शपथ पत्र पेश कर वसीयत को प्रमाणित किया है। शपथ पत्र के गवाह धन्नालाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयत 05.04.1983 EX8 को बयान से प्रमाणित किया है। रिपोर्ट आई.एल.आर. कोयला व पटवारी हल्का मियाडा में भी उक्त वसीयत करना तथा आराजी पर वसीयत निष्पादित से पूर्व ही वादी का कब्जा काश्त होना कहा है तथा खातेदार मथरी की मृत्यु के बाद से वसीयती उत्तराधिकारी की हेसियत से वादी का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। बयान PW3 चन्दालाल ने अपने बयान में वादी का विवादित आराजी पर कब्जा होना तथा उक्त आराजी में वादी द्वारा बोर कराकर बिजली कनेक्शन लेना बताया है। उक्तानुसार विवादित आराजी के खातेदार मथरी जोजे बिरधा जाति धाकड सा.देह द्वारा वादी को वसीयत दिनांक 05.04.1983 से वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया है। खातेदार मथरी की दिनांक 07.07.1984 को मृत्यु होना पंचायत मियाडा के प्रमाण पत्र EX6 से साबित होता है। उक्त वसीयत EX8 में वसीयत कर्ता मथरी ने अपनी मृत्यु के बाद समान अधिकार वादी को प्रदत्त किए है। वसीयत कर्ता मथरी की दिनांक 07.07.1984 को मृत्यु हो जाने व आराजी पर मृत्यु दिवस से वादी बजरंगलाल को खातेदार मथरी की मृत्यु उपरांत खातेदार घोषित किया जाना व मथरी का नाम विलोपित किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः वाद–वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम मियाडा तहसील बारां साबिक ख.नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा एवं वर्तमान ख.नं. 110 रकबा 1.14 है. का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मथरी का नाम विलोपित कर वादीं बजरंगलाल पुत्र कन्हैयालाल सुमन जाति माली नि. बोहत तहसील मांगरोल का नाम अंकन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बारां राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्त आशय की डिक्री पारित की जाकर शामिल की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/9/19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल मीना)
R.A.S.
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.10.18 17:45:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: